बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(समाज कल्याण निदेशालय)

कार्यालय आदेश

संचिका सं0-10/प्र0गृ0स्था0-09/2023-1362 पटना, दिनांक- 29.07.2026

सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, गोपालगंज का पत्रांक-319, दिनांक-21.05.2026 द्वारा श्री दिलीप कुमार, लेखापाल-सह-भंडारपाल (वर्तमान उच्च वर्गीय लिपिक), गोपालगंज को लरझाघाट थाना कांड संख्या-07/26, दिनांक-04.02.2026 धारा-140(3)/103(1)/238 BNS को साक्ष्य अनुसार नगर थाना जिला-गोपालगंज के परिसर में दिनांक-12.05.2026 को गिरफ्तार कर रोसड़ा थाना लाया गया था। जिसे माननीय न्यायालय में उपस्थापन उपरांत न्यायिक अभिरक्षा में उपकारा रोसड़ा में रखा गया है।

2. उक्त के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित नियम 9 (2) (क) में निहित प्रावधानों के तहत श्री दिलीप कुमार, लेखापाल-सह-भंडारपाल (वर्तमान उच्च वर्गीय लिपिक), जिला बाल संरक्षण इकाई, गोपालगंज को न्यायिक अभिरक्षा में रहने की तिथि 12.05.2026 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3. श्री दिलीप कुमार, लेखापाल-सह-भंडारपाल (वर्तमान उच्च वर्गीय लिपिक), जिला बाल संरक्षण इकाई, गोपालगंज के न्यायिक अभिरक्षा में कारागार में रहने के कारण निलंबन के फलस्वरूप उनके निलंबन अवधि का मुख्यालय निर्धारण नहीं हो सकता है। इस आधार पर उनके निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान उसके प्राधिकार पत्र के आधार पर उनके द्वारा प्राधिकृत/नामांकित आश्रित को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित नियम 10 में निहित प्रावधानों के तहत पदस्थापित कार्यालय से किया जायेगा।

27/07/26

(चन्द्रिमा अत्री)
निदेशक,
समाज कल्याण निदेशालय।

ज्ञापांक- 10/प्र०गृ०स्था०-09/2023-1362 पटना, दिनांक- 29.07.2026

प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव/विभागीय आई०टी० मैनेजर, समाज कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/07/26

निदेशक,
समाज कल्याण निदेशालय।

ज्ञापांक- 10/प्र०गृ०स्था०-09/2023-1362 पटना, दिनांक- 29.07.2026

प्रतिलिपिः- सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि श्री दिलीप कुमार, निलंबित लेखापाल-सह-भंडारपाल, जिला बाल संरक्षण इकाई, गोपालगंज को इस संबंधित आदेश का तामिला कराना सुनिश्चित करेंगे।

27/07/26

निदेशक,
समाज कल्याण निदेशालय।